"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सिं. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2011—वैशाख 23, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, टी. कृष्णामूर्ति आत्मज श्री टी. जोगैय्या, उम्र-47 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 7 सी, सड़क -38, जोन-2, खुर्सीपार, सेक्टर- 11, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र जिसकी जन्मतिथि 3-10-2001 है का नाम मेरे सर्विस रिकार्ड एवं उसके समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में टी. देवीवारा प्रसाद दर्ज है को परिवर्तित कर टी. दिवाकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को टी. दिवाकर आत्मज श्री टी. कृष्णामूर्ति के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
टी. देवीवारा प्रसाद	टी. दिवाकर
आत्मज-श्री टी. कृष्णामूर्ति	आत्मज-श्री टी. कृष्णामूर्ति
निवासी-क्वा. नं. 7 सी, सड़क -38	निवासी-क्वा. नं. 7 सी, सड़क नं. -38
जोन-2, खुर्सीपार, सेक्टर-11, भिलाई	जोन-2, खुर्सीपार, सेक्टर-11, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला- दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 15 अप्रैल 2011

प्रारूप क्र. 4
[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक/676/प्र. 3/लो. न्यास/अविअ/2010.—यत: कि श्री आई. पी. मिश्रा आ. स्व. श्री एस. पी. मिश्रा, निवासी 27/9 नेहरूनगर पश्चिम, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ने कमलादेवी चेरिटेबल ट्रस्ट, भिलाई के छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 18-05-2011 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	कमलादेवी चेरिटेबल ट्रस्ट, भिलाई, पता-27/9 नेहरूनगर वेस्ट, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग.
2.	चल संपत्ति	:	नगद-25,000-00 रु. मात्र
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी, कटघोरा वन मण्डल, कटघोरा, जिला - कोरबा (छ. ग.)

कटघोरा, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्रमांक /मा. चि. /2011/71.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आकृति का बीट हेमर जटगा परिसर, परिक्षेत्र जटगा श्री छोटेलाल चन्द्रा वनरक्षक द्वारा दि. 16-06-10 को छिना-झपटी में अपराधी द्वारा छिन लिया गया जो आज दिनांक तक नहीं मिला है.

वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा बीट हेमर को वनमण्डल के स्टाक से अलग कर अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस बीट हेमर को अनाधिकृत रूप से रखते हुए अथवा उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा और दण्ड का भागी होगा.

के. के. खेलवार,
वन मण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.